


सोनाशम हुं नारायण
 मात डिकान्त

उत्तरवाली
 राजू नारायण

किसम मुकदमा राजान वाद अधीन धारा 53, 188 RJA Act मु.नं. 142/2018



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
28/5/18	<p>प्रस्तुत वाद वादी ने उत्तरवालीगण के खिलाफ अर्जत द्वारा 53, 188 RJA Act के तहत एक किर्पा वादीका आवेदन दाखल द्वारा 53, 188 RJA Act के तहत हर्ज शर्मा ही वादी को सुन वादी ने कथन किर्पा की ग्राम डिकान्त के खण्ड 217, 218 में उत्तरवालीकी तैरीकतवा सुडा जमीन में उत्तरवालीगण परेशान कर कब्जा करने पर उतारु ही उन्हें पखन्द करमावे उत्तरवालीगण को जेप में बुलाया गया उत्तरवालीगण उपर अरपानं गा.पं. डिकान्त उपर पक्षकाराग की आपन में खेला समझौते करने पर बरवांरा कराने पर सहमत होन से किर्पा में उपनिहत तहसीलदा लुपामन को निर्दिष्ट जय की पक्षकाराग का शीनामा जाफिके बरवांरा करी पखलापन द्वारा शमीनामा पत्र किं 1 किप अरपानं ने हंताक्ष किर्पा शमीनामा इरा. 1310 किर्पा मीनल वादीके आवेदन वाद पत्र में कार्यवाही होख नही होने से पत्रवाली गभर से कात होख फेरल जाएवे</p> <p>किर्पा अरु आम किर्पा डिकान्त में बुलाया गया</p>	

उपवादी अधिकारी
 कुचाम-सिटी (नागौर)